बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–04 / निदे0महा0वि0मि0–183–08 / 2026– 47

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 18/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹2,25,11,940/–(दो करोड पचीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹33,00,000 (तेतीस लाख रू०) मात्र अर्थात कुल राशि ₹2,58,11,940/–(दो करोड़ अनठावन लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

2–स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास, उपशीर्ष 0105–अनुसूचित जनजाति विकास हेतु–विषय शीर्ष 0105–31.05–सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण मद, 0105–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड– 44–2225021020105 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹2,25,11,940/–(दो करोड पचीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹33,00,000 (तेतीस लाख रू०) मात्र अर्थात कुल राशि ₹2,58,11,940/–(दो करोड़ अनठावन लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रू०) मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृत्ति एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA012 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कंडिका–3 में उल्लेखित मद पर ही उक्त राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–314 दिनांक–01.04.2026 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेश के आलोक में करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8– राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को विधिवत निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये।

9– इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–04/निदे0महा0वि0मि0–183–08/2026 के पृष्ठ– /टि० पर दिनांक– को प्राप्त है।

10–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.05.26

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / निदे0महा0वि0मि0–183–08 / 2026– 47 दिनांक– 18/05/2026

प्रतिलिपि–(1) अपर मुख्य सचिव / सचिव, वित्त विभाग / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव / सचिव, निगरानी विभाग / भवन निर्माण विभाग / मुख्य कार्यपालक बिहार महादलित विकास मिशन पटना / मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय निदेशक कल्याण / सभी जिला योजना पदाधिकारी / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं विकास विभाग / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक (मु0) / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) / आई० टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी–4 (निदे0) / सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.05.26

सरकार के सचिव